उत्तर प्रदेश सरकार की
हथकरघा, पावरलूम, रेशम, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना 2

1. दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति 5
   - 1.1 दृष्टिकोण 5
   - 1.2 उद्देश्य 5
   - 1.3 रणनीति 5

2. वस्त्र उद्योगों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास 7
   - 2.1 सरकारी एजेन्सियों के द्वारा भूमि आवंटन 7
   - 2.2 निजी टेक्सटाइल औद्योगिक आस्थानों/पार्कों को प्रोत्साहन 7
   - 2.3 उपयोग हेतु तैयार 'प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर' उपलब्ध कराना 8
   - 2.4 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु प्रोत्साहन 9

3. वस्त्र उद्योग इकाई हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट 10
   - 3.1 स्टाम्प ड्यूटी में छूट 10
   - 3.2 राज्य कर विभाग से छूट 11
   - 3.3 ऊर्जा सम्बन्धी प्राविधान 11
   - 3.4 मण्डी शुल्क में छूट 12
   - 3.5 अन्य उपादान योजनाओं का विवरण 12

4. मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र उद्योग परियोजनायें 14
   - 4.1 मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों हेतु विशेष प्राविधान 14

5. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग उद्यमियों को प्रोत्साहन 16

6. क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास 17

7. विपणन हेतु प्रोत्साहन 19

8. माल भाड़े की प्रतिपूर्ति 19

9. सामान्य 20

अनुलग्नक : परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी हेतु कार्यक्षेत्र 21

प्रस्तावना

किसी भी प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विकास का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुॅचे। प्रदेश सरकार की नीतियॉ एवं योजनायें ऐसी हो जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आये तथा वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। इसी सिद्धान्त पर प्रदेश की हथकरघा, पावरलूम, रेशम, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 (अब आगे से ''वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति'' के नाम से सन्दर्भित) को तैयार किया गया है।

वर्तमान के वर्षों में यह देखा गया है कि बॉगलादेश, वियतनाम, इण्डोनेशिया, आदि देश प्रमुख गारमेन्टिग उत्पादन केन्द्र के रूप में उभर कर आये हैं। इनकी (देशों) उन्नति का मुख्य कारण सस्ता श्रम और कुछ अर्न्तराष्ट्रीय व्यापारिक फायदे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सरकार वस्त्र निर्माताओं को आर्किषित करने के लिए संवेदनशील है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वस्त्रोद्योग का विशेष महत्व है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार वस्त्रोद्योग क्षेत्र एवं इससे सम्बन्धित अनुपूरक उत्पादन इकाईयों एवं विनिर्माण इकाईयों से ही प्राप्त होता है। वस्त्रोद्योग श्रम प्रधान उद्योग है और इसमें प्रदेश के विकास के असीमित अवसर है। जहाँ एक ओर प्रदेश में रोजगार सृजन की बहुत आवश्यकता है, वहीं यहॉ की बड़ी जनसंख्या के कारण वस्त्रोद्योग उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। इसी मॉग की पूर्ति हेतु प्रदेश में वस्त्रोद्योग स्थापित करने की अपार सम्भावना हैं। यह सर्वविदित है कि देश भर की वस्त्र इकाइयों को उ0प्र0 अत्यधिक मात्रा में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराता है और इनमें से अधिकांश महिलायें एवं समाज के कमजोर वर्गों से होते हैं। प्रदेश के हजारों निवासी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एवं केरल के सुदूर स्थानों तक यात्रा करके वस्त्र उत्पादन में योगदान देते हैं। राज्य सरकार ऐसे प्रवासियों को उनके दरवाजे पर रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें यहीं पर स्वतः हितकारी अवसर उपलब्ध कराने की इच्छुक है। 'इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि' तथा 'राष्ट्र के उत्पादन आधार में मूल्य संवर्द्धन करना' इस नीति का केन्द्र बिन्दु है।

एक समय था जब प्रदेश अपने परंपरागत उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्पादों के लिए देश एवं विदेश में विख्यात था परन्तु आज प्रदेश का वस्त्रोद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः प्रदेश के वस्त्रोद्योग को पुनः जीवित करने के लिए तकनीकी उन्नयन एवं नये निवेश की नितान्त आवश्यकता हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण राज्य है साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। ऐसे बृहद राज्य का समेकित विकास, राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश में खपत होने वाले लगभग दो तिहाई वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल व वस्त्र उत्पादों का अन्य प्रदेशों से आयात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में परम्परागत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है और इसी प्रयास को सफल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारेमन्टिंग नीति–2017 को तैयार किया गया है। इस नीति में

वस्त्रोद्योग की सभी उप शाखाओं जैसे–रेशम (चाकी एवं कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हैण्डलूम, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, टेक्सराइजिंग, डाईंग, प्रोसेसिंग, गारमेन्टिंग (यथा–गारमेन्ट मैन्यूफैक्चरिंग, कढ़ाई, कढ़े हुए वस्त्र, मेड–अप्स, होम टेक्सटाइल्स, फैशन एसेसरीज, लेदर गारमेन्ट एवं एसेसरीज) तथा सभी सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्रों एवं जूट उत्पादों को आच्छादित किया गया है। इस नीति में प्रदेश के पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यान्चल के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्राविधान किये गये हैं एवं वस्त्रोद्योग एवं औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान मे रखकर इसे तैयार किया गया है। इस नीति से प्रदेश के वस्त्रोद्योग में नये निवेश को गति प्राप्त होगी और लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वस्त्रोद्योग, हथकरघा एवं रेशम उद्योग को सफल एवं उद्देश्यपरक बनाने हेतु श्रम कानून का सरलीकरण करने पर भी बल दिया गया है।

प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में व्यवसाय करने को सरलीकृत करने के लिये अनेक व्यवस्थायें की गई हैं। वह सभी इस वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति का भी अंश होंगी।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) के प्रारम्भ होने से उद्योग का स्थान उद्यमी के पसन्द (प्राथमिकता) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। व्यवसाय करने में तुलनात्मक आसानी (ई0डी0बी0) एवं अन्य राज्यों के प्रोत्साहन पैकेज उनकी पसन्द के ऊपर निर्भर करेगा। इस नीति के माध्यम से उद्यमियों को आकर्षित करने में ''अग्रणी राज्य'' के रूप में उ0प्र0 को स्थापित करना लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में 2.50 लाख से अधिक हथकरघा बुनकर, 1.10 लाख हथकरघे एवं सैकड़ों वर्षों से विकसित नैसर्गिक हथकरघा क्लस्टर हैं। वाराणसी एवं मुबारकपुर उच्च गुणवत्ता की रेशमी साड़ियों के लिये विश्वविख्यात हैं। 'अति निपुण हस्त कढ़ाई' के लिये परम्परागत क्लस्टर यथा :– फर्रूखाबाद, बरेली एवं लखनऊ विख्यात हैं। सामाजिक तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिये सिलाई एक सम्मानजनक पेशा है। अधिकांश घरों में महिलाओं को सिलाई–कढ़ाई आदि सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। बीते दशकों में सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास के कार्यक्रमों में राज्य के हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इन कुशल श्रमिकों की वस्त्र उद्योगों में सर्वत्र मांग है।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों मे उन्नतिशील पावरलूम उद्योग हैं। प्रख्यात उदाहरण पश्चिम में बिजनौर, हापुड़ एवं अमरोहा, मध्यवर्ती उ0प्र0 में सीतापुर तथा पूर्वी उ0प्र0 में गोरखपुर हैं। इस व्यवसाय में बुन्देलखण्ड भी समृद्ध है। ये क्षेत्र वस्त्रोद्योग के लिये वाँछित कुशल मानवशक्ति के गढ़ हैं। उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट चमड़े (quality leather) के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तथा लेदर गारमेन्ट्स, मेड–अप्स एवं एसेसरीज में मूल्य संवर्द्धन के सम्बन्ध में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। कानपुर, उन्नाव एवं आगरा प्रमुख चमड़ा उद्योग केन्द्र हैं। कानपुर लम्बे समय से पूर्व का मानचेस्टर के रूप में विख्यात था। फिर भी इस क्षेत्र में विद्यमान बड़े वस्त्र उद्योगों हेतु अग्र एवं पश्च कड़ियों (backward and forward linkages) की आवश्यकता है। ये क्षेत्र गारमेन्टिंग के विकास में सहायक प्राकृतिक क्लस्टर हैं तथा उत्पादकों के मध्य जॉब वर्क के लिये पहले से ही प्रसिद्ध हैं।

वर्तमान में भारतवर्ष में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। दिल्ली से लखनऊ तक 500 किमी की दूरी आसानी से मात्र 6 घंटों में तय करना सम्भव है। लखनऊ एवं गोरखपुर के मध्य कनेक्टिविटी उत्कृष्ट है तथा 3.5 घंटे में आसानी से यात्रा की जा सकती है। लखनऊ एवं आगरा से बुन्देलखण्ड बहुत अच्छी सड़कों से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे से होकर नई दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा अवधि 10–11 घंटे तक की हो जायेगी। लखनऊ एवं वाराणसी से एअर कनेक्टिविटी उच्च श्रेणी की है। इलाहाबाद एवं गोरखपुर भी हवाई मानचित्र पर हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों ही डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के द्वारा सेवित होने का विशिष्ट लाभ भी उत्तर प्रदेश के पास है।

अल्प व्यवधानों को छोड़कर उ0प्र0 में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण ऐतिहासिक रूप से सौहार्द्रपूर्ण रहा है। राज्य सरकार श्रम सुधारों को बहुत ही सकारात्मक बनाने का प्रयास कर रही है। न्यूनतम मजदूरी उचित रूप से निश्चित की गयी है।

उ0प्र0 की परम्परागत क्षमताओं तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि गारमेन्टिंग सेक्टर में अधिकतम रोजगार सृजित होते हैं, उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वस्त्र उद्योग के इस घटक पर अधिक जोर दिया गया है। उद्योग में सामन्जस्य स्थापित करने के लिये वस्त्र उद्योग के दूसरे सेक्टर भी उदारतापूर्वक प्रोत्साहित किये जायेंगे।

प्रदेश सरकार अभिनव तरीकों द्वारा उद्योगों के लिए पावर टैरिफ को कम करने का प्रयास कर रही है। इसका लाभ औद्योगिक इकाइयों को उचित रीति से दिया जायेगा।

इस नीति में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया शब्द ''वस्त्र इकाई'' पैरा 1.3 में वर्णित उत्पादन करने वाली किसी भी निर्माता इकाई को सूचित करता है।

1–दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

1.1 दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश के वस्त्रोद्योग क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लिये अधिक से अधिक नये निवेश को आकर्षित करना जिससे तकनीकी उन्नयन के साथ ही जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

1.2 उद्देश्य

नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति में निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- वस्त्रोद्योग में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना जिससे कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (पर कैपिटा इनकम) में सुधार हो एवं उसे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय तक पहुॅचाना।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना।
- प्रदेश में वस्त्रोद्योग की खपत को प्रदेश के उत्पादों से पूरा करना एवं अन्य प्रदेशों से किये जा रहें वस्त्रोद्योग उत्पादो एवं कच्चे माल के आयात को कम करना।
- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यान्चल में प्राथमिकता पर वस्त्रोद्योग का विकास करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सुलभ कराते हुए प्रतिभा एवं क्षमता पलायन को रोकना।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम चलाकर वस्त्रोद्योग के क्षेत्र के लिए योग्य कार्मिकों की सुलभता सुनिश्चित कराना।
- टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश के वस्त्रोद्योग क्षेत्र को उपलब्ध कराना।

1.3 रणनीति

यह नीति वस्त्र निर्माण श्रंखला की सभी शाखाओं, यथा :– रेशम (चाकी एवं कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हथकरघा, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, टेक्सचराइजिंग, डाईंग, प्रोसेसिंग, गारमेन्टिंग(यथाः– गारमेन्ट मैन्यूफैक्चरिंग, इम्ब्रायडरी, कढ़े हुए वस्त्र, मेडअप्स, होम टेक्सटाइल्स, फैशन एसेसरीज, लेदर गारमेन्ट एवं एसेसरीज) तथा सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र एवं जूट उत्पादों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है।

निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया जायेगा :–

(अ) गारमेन्ट एवं मेड–अप्स मैन्यूफैक्चरिंग, जैसा कि ये सेक्टर अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं तथा ऊर्ध्वप्रवाह उत्पादन प्रक्रियाओं में वृद्धि हेतु इंजन की भाँति कार्य करते हैं।

(ब) वस्त्र उद्योग के ऐसे क्षेत्र, जिनमें राज्य की मजबूती स्थापित है, जैसे कि कढ़े हुए वस्त्र, संस्कृति–विशेष पहनावे, लेदर गारमेन्ट एवं लेदर एसेसरीज।

ऐसी किसी एक अथवा अधिक कार्यों की इकाईयों की स्थापना हेतु रणनीति निम्नवत् है :–

- अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- प्राकृतिक परम्परागत क्लस्टरों का लाभ उठाना।
- वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु औद्योगिक वातावरण में सुधार।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्योगों से सम्बन्धित इकाईयों को प्रोत्साहन।
- उद्यमियों को किराये पर फैक्ट्रियों के संचालन हेतु 'प्लग एण्ड प्ले' सुविधाओं का विकास।
- वस्त्रोद्योग क्षेत्र में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।
- मेगा एवं सुपर मेगा यूनिटों को उच्चतर प्रोत्साहन, क्योंकि ये वस्त्र उद्योग के एंकर इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपने चारो ओर वस्त्रोद्योग इकाईयों का सघन विकास प्रोत्साहित करती है।
- मानवशक्ति को वस्त्रोद्योग क्षेत्र में रोजगारपरक बनाने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास।
- अनुसंधान एवं गुणवत्ता सुधार।

2– वस्त्र उद्योग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

वस्त्रोद्योग को गुणात्मक एवं उच्चस्तरीय विश्वसनीय अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किये जायेंगे। यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा किया जायेगा।

2.1 सरकारी एजेन्सियों के द्वारा भूमि आवंटन

सरकारी एजेन्सियों यथाः–यू.पी.एस.आई.डी.सी., सीडा, लीडा एवं अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में टेक्सटाइल यूनिटों के लिये भूमि के आवंटन में छूट प्रदान की जायेगी। भूमि की कीमत की 50 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति उन निवेशकों को की जायेगी, जो ऐसी सरकारी संस्थाओं से प्रत्यक्षतः भूमि क्रय करते हैं। यह प्रतिपूर्ति तब की जायेगी, जब इकाई भूमि क्रय के पाँच वर्षों के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देती है। गौतमबुद्ध नगर (जी0बी0 नगर) जनपद में यह सब्सिडी 30 प्रतिशत होगी। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। सरकारी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र में एक कार्यरत ई. टी.पी. है।

2.2 निजी टेक्सटाइल औद्योगिक आस्थानों/पार्कों को प्रोत्साहन

एस.पी.वी. द्वारा चयनित क्षेत्र में न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिये निजी एवं संयुक्त सेक्टर के एस.पी.वी. को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन पार्कों के लिये राज्य सरकार का प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी भी योजना यथा इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना (SITP) के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधा से ऊपर एवं अधिक होगा। पार्क के नियोजन के लिये एस.पी.वी. स्वतन्त्र होंगे। फिर भी न्यूनतम साझा सुविधाओं यथा एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट पार्क (ETP) एवं पेयजल, वर्षाजल संचयन, ट्रंक पार्किंग एवं अन्य प्रचालन तंत्र आदि सुविधा प्रदान की जायेगी, जिनके निर्माण एसपीवी द्वारा कराये जायेगे। एसपीवी को पार्क हेतु ऐसी भूमि का चयन करना होगा जो हर मौसम हेतु उपयुक्त कम से कम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से जुड़ी हो एवं जल निकास की व्यवस्था हो। एसपीवी अपना स्वयं का मलजल निस्तारण प्रणाली निर्मित करेगी अथवा ट्रंक सीवेज लाइन तक पहुँच सुनिश्चित करेगी तथा ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायेगी। एसपीवी द्वारा पुलिस स्टेशन एवं फायर स्टेशन हेतु भी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। एसपीवी, पार्क में श्रमिकों के लिये डॉरमेट्री का निर्माण करा सकती है, जिस हेतु ब्याज उपादान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। भूमि उपयोग परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो एसपीवी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिए जाने एवं स्वीकृत चार्जेस के भुगतान के 90 दिन के अन्दर विनिश्चित किया जाएगा। इन पार्को के विकास हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का स्वागत किया जायेगा। इस हेतु देश विशिष्ट निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य सरकार पार्क को जोड़ने वाली सड़क को आवश्यकतानुसार मजबूती प्रदान करेगी। यह ट्रंक ड्रेन से पार्क तक पहुँच की कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार आवश्यक विद्युत लाइन, अथवा अलग फीडर एवं ट्रासफार्मर/उपकेन्द्र, पुलिस एवं फायर स्टेशन का निर्माण भी करायेगी। यह सेवायें राज्य की एजेन्सियों द्वारा अनुरक्षित की जायेगी।

लखनऊ–कानपुर, कानपुर–इलाहाबाद, कानपुर–दिल्ली, चित्रकूट–झांसी–ललितपुर, वाराणसी–इलाहाबाद, दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–मुरादाबाद, बरेली–मुरादाबाद–बिजनौर,

मेरठ–नजीबाबाद, गोरखपुर–वाराणसी और गोरखपुर–फैजाबाद राजमार्गों में एवं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस–वे के पास स्थापित टेक्सटाइल पार्कों को विशेष रुप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों की स्थापना के लिये 25 एकड़ अथवा अधिक की भूमि के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी। 'भूमि लागत ब्याज उपादान' भूमि क्रय के दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार की सब्सिडी की अधिकतम सीमा रू0 एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) 25 एकड़ अथवा अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रू0 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा रू0 50 करोड़ तक होगी। ई.टी.पी., प्रशिक्षण केन्द एवं परीक्षण प्रयोगशाला भी इस उपादान के लिये योग्य होंगे।

राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के विकासकर्ता को भूमि के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी। इन टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में प्रत्येक प्लाट/इकाई की स्थापना हेतु प्रथम क्रेता को 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी।

2.3 उपयोग हेतु तैयार 'प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर' उपलब्ध कराना

गारमेन्टिंग सेक्टर के सामर्थ्यवान उद्यमियों को पूर्ण, उपयोग हेतु तैयार मानक आकार के शेड एवं अन्य सुविधायें किराये पर राज्य सरकार अपनी संस्थाओं यथा :– यू.पी.एस.आई.डी.सी., अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, नगरीय विकास प्राधिकरणों एवं हाउसिंग डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करायेगी। इन सुविधाओं हेतु गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर एवं हापुड़ प्रथम क्षेत्र होंगे। एक निश्चित लोकेशन के लिये उद्यमी द्वारा सहमति जताने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 'प्लग एण्ड प्ले' वाले क्षेत्र में ई.टी.पी., सड़क, मलजल निस्तारण, जल निकासी, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की सुविधायें होंगी।

2.4 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु प्रोत्साहन

क्वार्टर/हास्टल राज्य में (गौतमबुद्ध नगर नगर को छोड़कर) निर्मित होने वाले टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में स्टाफ/डोरमेट्री के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी और यह प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के सान्निध्य में होगी। प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी की सुविधा हेतु ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रू0 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान/निर्माण स्थल होगी, जिसकी कुल अधिकतम सीमा रू0 30 करोड़ तक होगी। स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु जमीन की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जायेगी।

राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) भूमि के क्रय हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

टेक्सटाइल यूनिटों, पार्क विकासकर्ता एस.पी.वी. अथवा प्लग एण्ड प्ले सुविधादाता के कार्यस्थान के निकट विकासकर्ता द्वारा स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु प्रधनमंत्री आवास योजना (PMAY) के अन्तर्गत ऐसे पात्र व्यक्तियों हेतु हाउसिंग काम्प्लेक्सों के निर्माण हेतु नगरीय विकास प्राधिकरण एवं हाउसिंग डेवलेपमेन्ट बोर्ड के साथ–साथ निजी विकासकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

3–वस्त्र उद्योग इकाई हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने एवं वस्त्रोद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाते हुए निम्नलिखित प्रकार की छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी :–

3.1 स्टैम्प ड्यूटी में छूट

3.1.1 राज्य तथा केन्द्र सरकार अथवा उनके स्वमित्वाधीन निगम, परिषद, बोर्ड कम्पनी, संस्था अथवा निजी श्रोतों से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनेमेण्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर सभी वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से निम्नलिखित प्रकार की छूट उपलब्ध कराई जाएगी :–

(क) बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर) में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) पूरे प्रदेश में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा–एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाऊस, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट, एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क मे 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) निजी/संयुक्त क्षेत्र एस.पी.वी. द्वारा स्थापित वस्त्र पार्क में प्रत्येक भूमि के प्रथम खरीददार को 50 प्रतिशत स्टैम्प डयूटी में छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) रेशम चाकी/कोया उत्पादन/धागाकरण इकाईयों को सम्पूर्ण प्रदेश में 100 प्रतिशत स्टैम्प डयूटी में छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

(ड.) स्टाम्प ड्यूटी में छूट की गणना भूमि क्रय करने की तिथि को प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार आगणित की जायेगी, जो उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि पर लागू होगी।

3.1.2 पिकप, यू.पी.एफ.सी. या बैंक द्वारा विक्रीत की जाने वाली अटैच की गयी, बन्द इकाईयों के लिए सर्किल रेट के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क की गणना की जायेगी, परन्तु छूट प्रस्तर–3.1.1 के अन्य प्राविधानों के अनुरूप दी जायेगी।

3.1.3 यदि किसी पैरेण्ट कम्पनी द्वारा अपनी सब्सिडियरी कम्पनी जिसमें पैरेण्ट कम्पनी न्यूनतम 90 प्रतिशत की अंशधारक हो, को भूमि हस्तांतरित की जाती है तो अन्तरण पर सब्सिडियरी कम्पनी को इस शर्त पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी कि सब्सिडियरी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाये।

3.2 कर विभाग सम्बन्धी छूट

3.2.1 पूर्ववर्ती वस्त्रोद्योग नीति के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को अनुमन्य वैट एवं सीएसटी की कुल राशि अथवा जीएसटी के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी धनराशि के समतुल्य ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा यथावत् जारी रहेगी।

3.2.2 राज्य को प्राप्त नेट जी0एस0टी0 अंश की प्रतिपूर्ति स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी) का 25 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक सीमा तक अथवा वास्तविक वार्षिक कर जमा, जो भी कम हो, 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी :–

(क) प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित इकाई, जो एम.एस.एम.ई. नहीं हैं, हेतु पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड में 90 प्रतिशत, मध्यान्चल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में 60 प्रतिशत की, प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी के उद्योगों हेतु 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.3 <u>ऊर्जा सम्बन्धी प्राविधान</u>–

3.3.1 नई इकाइयों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

3.3.2 कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित एवं स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष तक मुक्त रखा जायेगा।

3.3.3 वस्त्र उद्योग संकुलों एवं पार्कों तथा एक निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत उपयोग करने वाली इकाईयों को विद्युत प्राप्ति हेतु Open Access की अनुमति Electricity Act-2003 के अनुसार प्रदान की जाएगी।

3.3.4 पावर टैरिफ को अभिनव तरीकों जैसे Time of the Day metering तथा विशेषतया बुन्देलखण्ड में अक्षय स्रोतों को काम में लाकर कम करने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

3.3.5 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक निर्दिष्ट भार से अधिक बिजली खपत करने वाले वस्त्र समूहों/ईकाइयों/पार्कों को स्वतंत्र विद्युत फीडर उपलब्ध कराया जाये, चाहे वे स्वयं भुगतान करें अथवा नहीं, उन्हें विद्युत कटौती से यथासम्भव मुक्त रखा जाये। साथ ही साथ वस्त्र औद्योगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिये स्वतन्त्र फीडर से विद्युत भार न जोड़ा जाये।

3.4 <u>मण्डी शुल्क में छूट</u>

सभी वस्त्र उद्योग इकाईयों को कच्चा माल खरीदने पर मण्डी शुल्क में 05 वर्ष तक छूट प्रदान की जायेगी।

3.5 अन्य उपादान योजनायें

3.5.1 ब्याज उपादान :–

वस्त्र उद्योग इकाईयों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा TUFS पात्रता वाली प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिये अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 1.5 करोड़ प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष रू0 75 लाख होगी।

3.5.2 अवस्थापना ब्याज उपादान –

वस्त्र उद्योग इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट, जल निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.5.3 गुणवत्ता विकास उपादान –

वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वस्त्रोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रू0 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3.5.4 पूँजीगत उपादान :–

वस्त्र उद्योग और गारमेन्टिंग इकाई को प्लांट एवं मशीनरी हेतु 25 प्रतिशत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति निम्न सीमा के अनुसार की जायेगी–

प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु0 में)	अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा	उपादान की सीमा (करोड़ रु0 में)
<=10	50	2
>10 but <=50	200	10
>50 but <=100	300	20
>100 but <=200	500	40
>200	1000	100

(क) रेशम उद्योग (चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग) को प्रोत्साहन देने हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ तक पूँजी निवेश करने वाली इकाईयों को राष्टीयकृत बैकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा, जिसकी गणना बैंक द्वारा आगणित परियोजना लागत पर की जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति के उद्यमियों को 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा।

(ख) रू0 01 करोड़ तक पूँजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयों को 20 प्रतिशत पूँजीगत उपादान दिया जायेगा, यह उपादान भारत सरकार की संस्था सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त होगा।

(ग) उप खण्ड (क) और (ख) के अर्न्तगत प्रदत्त सब्सिडी भारत सरकार/या सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड की योजना में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगा।

3.5.5 कार्यशील पूँजी सब्सिडी :–

रेशम रीलिंग इकाईयाँ, जो प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन करती हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल ऋण पर 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान दिया जायेगा। इसकी अधिकतम सीमा रू0 50 हजार प्रतिवर्ष होगी।

3.5.6 ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति :–

(अ) 100 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई वस्त्रोद्योग इकाईयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ईपीएफ प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक प्रदान की जायेगी। इसके लिए श्रमिक को **Employee Provident Fund Scheme Reforms**/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए।

(ब) 200 से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को नियोक्ता के अंश का 60 प्रतिशत की दर से ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक दी जायेगी। इसके लिए श्रमिक को **Employee Provident Fund Scheme Reforms**/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए।

(स) गारमेन्ट/परिधान सेक्टर की ऐसी इकाईयाँ, जो भारत सरकार की **Employee Provident Fund Scheme Reforms**/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित वित्तीय सहायता की सुविधा 3 वर्षों तक प्राप्त करती हैं। उन इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2 वर्षों के लिये यह सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

4. मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र उद्योग परियोजनायें

मेगा और सुपर मेगा इकाईयाँ एंकर की भूमिका निभाती हैं। वे पूरे क्षेत्र में अग्रणी का कार्य करती हैं और छोटी सहायक इकाईयों के विस्तार करने और उनके आस पास के क्षेत्र के विकास के लिए नेतृत्व करती हैं। राज्य सरकार ऐसी इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन देगी। इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। :–

उद्योग का प्रकार	श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड	
	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में	प्रदेश के अन्य भागों में
मेगा यूनिट	निवेशः रू0 50 करोड़ से 75 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 500 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1000)	निवेश : रू0 75 करोड़ से 125 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)
सुपर मेगा यूनिट	निवेश : रू0 75 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)	निवेश : रू0 125 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 1000 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)

4.1 मेगा एवं सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु विशेष प्राविधान :–

(क) गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर समस्त जनपदों में मेगा और सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्रति माह प्रति श्रमिक रु0 3200 रोजगार सृजन सब्सिडी 05 वर्षों तक प्रदान की जायेगी। ऐसा प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति ई0पी0एफ0 में नामांकित होना चाहिये तथा उसका वैध आधार संख्या होना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि यह सब्सिडी 5 वर्षों में उद्योगों को उनके कार्मिकों को प्रशिक्षित करने तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करने में सहायक होगी। यह सब्सिडी प्राथमिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन इकाइयों को प्रदान की जायेगी जो संचयी रूप में पहली 15,000 सिलाई मशीन स्थापित करती हैं।

(ख) मेगा इकाईयों को उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तो के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस–टू–केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को मुख्य सचिव की कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जायेंगी, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति में आच्छादित न हों।

(ग) इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे–सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी, तो उसे यथासम्भव शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

(घ) डिप्टी एस.पी. रैंक का एक पुलिस आफीसर 'निवेशक पुलिस मित्र' या 'निवेशक का दोस्त' के रुप में नामित होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इकाई को कोई श्रमिक मुददों या कानून व्यवस्था सम्बन्धी कोई समस्या नहीं हैं।

(ड़) सुपर मेगा इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस–टू–केस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर सुविधा या उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य सचिव की कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं है।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग उद्यमियों को प्रोत्साहन

5.1 राज्य सरकार द्वारा इस नीति के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के ब्याज उपादानों में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान दिया जायेगा। यह अतिरिक्त ब्याज उपादान 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा कुल ब्याज उपादान पूर्ण देय ब्याज से अधिक नहीं होगा।

5.2 उ0प्र0 प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/बी.पी.एल. श्रमिकों के रोजगार को प्रोत्साहन– पश्चिमांचल में 1000 से अधिक श्रमिकों अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में 750 से अधिक उ0प्र0 के मूल निवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रही वस्त्र उद्योग इकाईयों को जी0एस0टी0 के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राज्य के खाते में जमा Net State GST धनराशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति होने पर करायी जायेगी :–

5.2.1 न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे से हों, अथवा

5.2.2 न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हों, अथवा

5.2.3 न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।

6– क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास

6.1 व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा–11, 12) उत्तीर्ण करते हैं, प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये 500 रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जायेगी।

6.2 बुनाई प्रशिक्षण कालेजों के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु नवीन हथकरघा के क्रय, हथकरघा के विभिन्न उपकरणों के क्रय जैसे–डाबी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा–सूत, रंग–रसायन आदि के क्रय हेतु रूपये 5 लाख प्रति कालेज अनुदान दिया जायेगा।

6.3 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रूपये 1000 प्रति माह मानदेय दिया जायेगा।

6.4 प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के डिजाइन के विशेषज्ञ बढ़ाने हेतु निजी डिजाइन कालेजों/संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए यू0पी0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आई0आई0टी0, कानपुर तथा निफ्ट रायबरेली के सहयोग से परियोजनाएं विकसित करायी जाएंगी और निजी संस्थाओं की इन प्रतिष्ठित संस्थाओं से पार्टनरशिप करायी जाएगी।

6.5 टेक्सटाइल सेक्टर में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हेतु भारत सरकार की "Integrated Skill Development Scheme for the Textiles and Apparel Sector Including Jute and Handicrafts" योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक औद्योगिक एसोसिएशन एवं एन0जी0ओ0 को जोड़ा जाएगा। आवश्यकतानुसार गैप फिलिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित प्रोजेक्ट कास्ट का अधिकतम 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस क्षेत्र की इकाइयों/संस्थाओं को अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

6.6 बुनकरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोडकर बैंको से आसान ऋण दिलाने में सहायता की जायेगी। स्केलिंग के लिए बुनकरों के संसाधनों को पूल करने के लिए बुनकर समूह बनाये जायेंगे। इस प्रकार से प्राप्त धन को कार्यशील पूँजी, विपणन, विनिर्माण में लगाया जायेगा। पीछे और आगे के लिंकेजेस के लिए विशेषज्ञों द्वारा बुनकरों को सलाह प्रदान की जायेगी।

6.7 क्षमतावान एस0सी0/एस0टी0 एवं महिला, विशेषकर सिल्क रीलिंग के उद्यमी को भारत सरकार की ''स्टैण्ड अप इण्डिया योजना'' से लाभान्वित कराया जायेगा।

6.8 भारत सरकार की "START UP INDIA" अभियान को बढावा देकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.9 आधुनिक लूमों को अपनाने एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए महिला बुनकरों के स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाये जायेंगे।

6.10 ऐसे परिवार जो परंपरागत व्यवसाय जैसे कपडों की कढाई, पैकेजिंग, सजावट, धुलाई, और रंगाई के कार्यों में लगे हैं उन्हें जाब वर्क के लिए वस्त्र उद्योग से जोडा जायेगा। इसे सम्भव करने हेतु ऐसे केन्द्रों के आस पास निजी औद्योगिक पार्क और 'प्लग एण्ड प्ले' सुविधाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

6.11 चूँकि हथकरघा एक पारिवारिक उद्योग है राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित/स्वीकृत क्लस्टर प्रोजेक्टों में आवश्यकतानुसार गैप पूर्ण कराने के लिये रु0 15 लाख का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

6.12 हथकरघा और पावरलूम के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी। जिसके तहत उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों और बेहतर वातावरण के लिए इलेक्ट्रानिक जैकार्ड मशीन, आधुनिक लूमों के साथ बेहतर लाइटिंग और वेंटीलेशन की सुविधायें दिलायी जायेंगी।

7. विपणन हेतु प्रोत्साहन

7.1 रेशम एवं हैण्डलूम के प्रचलित एवं नये क्लस्टरों में आधुनिक डिजाइनरों को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत मेन्टर एवं प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा। इसमें निफ्ट से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी। प्रख्यात डिजाइनरों को क्लस्टरों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कारीगरों को ब्रांडिग का लाभ मिल सके।

7.2 प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के रेशम एवं हैण्डलूम कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष चार विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करायी जाएगी तथा स्थापित प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता दी जाएगी। प्रत्येक प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय रूपये 40.00 लाख होगा।

7.3 विदेश में आयोजित ऐसी 01 अथवा 02 प्रदर्शनियॉ जिनमें भारत सरकार/विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा आयोजित कराया जाता है, उनमें उत्तर प्रदेश के बुनकरों एवं समितियों को प्रतिभाग कराने हेतु एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाएगी।

7.4 राज्य सरकार के विभागों और उनकी एजेंसियों द्वारा प्रदेश में निर्मित पावरलूम और हथकरघा उत्पादों जैसे वर्दी, कम्बल आदि जैसी वस्तुओं की खरीद में वरीयता/प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7.5 राज्य सरकार बडे भारतीय और अर्न्तराष्ट्रीय ब्रांडो और खुदरा विक्रेताओं को उ0प्र0 में निर्मित वस्त्रों की खरीद हेतु संवेदनशील करेगी, जिससे प्रदेश की एम.एस.एम.ई इकाईयों को मजबूत बाजार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, जिससे मजबूत मार्केट लिंकेज प्राप्त होगा।

8. माल भाड़े की प्रतिपूर्ति

8.1 गारमेन्ट के निर्यात को बढावा देने के लिये इकाई से पोर्ट तक माल भाड़े पर 25 से 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति नई इकाइयों को प्रदान की जायेगी :–

- प्रथम दो वर्षों तक – 75 प्रतिशत
- अगले दो वर्ष तक – 50 प्रतिशत
- पांचवे वर्ष में – 25 प्रतिशत

9–सामान्य

9.1 इस नीति के लिए एक नियोजित व्यक्ति/कर्मचारी का अर्थ है कि स्थायी रोल या अनुबन्ध या निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम करने वाला कोई व्यक्ति।

9.2 प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के ऐसे प्राविधान, जिनके समरूप विशिष्ट प्राविधान, इस वस्त्रोद्योग नीति में नहीं है, वह सभी वस्त्रोद्योग नीति के भी अंश माने जायेंगे।

9.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एव मध्यम वस्त्र उद्योग की इकाईयों को समस्त प्रकार की छूट, प्रतिपूर्ति, अनुदान आदि कुल मिलाकर पूर्ण स्थायी पूंजीगत निवेश (Fixed capital investment) (भूमि, बिल्डिंग, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व विविध स्थायी निर्माण) के 120 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित वस्त्र उद्योग की मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की इकाईयों हेतु 300 प्रतिशत तथा मध्यान्चल में 200 प्रतिशत, पश्चिमांचल (जी.बी. नगर को

छोड़कर) में 100 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु यह सीमा 80 प्रतिशत होगी।

9.4 नीति में वर्णित सुविधायें वस्त्रोद्योग के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नई इकाईयों के साथ–साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण इकाईयों पर भी लागू होगी। विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जिसके द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।

9.5 यह स्पष्ट है कि नीति में वर्णित सभी सुविधायें भारत सरकार की TUFS तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी। 9.6 राज्य सरकार नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेंसी (पी. एम.ए) को शामिल करेगी जो सुनिश्चित करेगी कि नीतिगत लाभ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों ब्रांडो और अन्य स्टेक होल्डरों तक संभावित निवेशकों के समर्थन तथा निवेश के लिय प्रत्यक्ष रुप से पहुँच सके।

9.7 उत्तर प्रदेश में रेशम कोया और हेम्प (भांग/गांजा) फाइबर के उत्पादन की वृद्वि के लिए एक मिशन स्थापित किया जायेगा।

9.8 यह नीति उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की अधिसूचना के दिनांक से प्रभावी होगी तथा 05 वर्षों के लिये लागू होगी।

9.9 इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समस्त सब्सिडियों पर कुल व्यय रू0 500 करोड़ की वार्षिक सीमा तक किया जाना प्रस्तावित है। किसी वित्तीय वर्ष में इस उच्चतम सीमा से हुई बचत को अगले वित्तीय वर्ष की सीमा में जोड़ दिया जायेगा, जिससे अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक सीमा रू0 500 करोड़ एवं गत वित्तीय वर्ष की बचत धनराशि के योग के समतुल्य हो जायेगी।

9.10 इकाइयाँ जो राज्य की पिछली वस्त्र नीति 2014 के तहत लाभ ले रहीं हैं वे उसी नीति के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखेगी।

9.11 इस नीति के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण में विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

अनुलग्नक : परियोजना प्रबन्धक एजेंसी (Project Management Agency) (PMA) के लिए कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे –

- राज्य सरकार के साथ हैण्डहोल्डिंग –वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति के प्रभावी एवं सुगम संचालन के लिए पी. एम.ए राज्य सरकार को नियम बनाने/वैद्यानिक संशोधन करने और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।

- विपणन के अनुशांगिक सामग्री का विकास– परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी (PMA) उत्तर प्रदेश में निवेश के लाभों को उजागर करने वाली विपणन सामग्री जैसे ब्रोशर, फ्लायर्स, आदि विकसित करेगी। इसके लिए भावी निवेशकों को अलग अलग विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा मूल्य श्रंखला (फाइबर से अन्तिम उत्पाद) के अलग–अलग हिस्सों के भावी निवेशक हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित करने की आवश्यकता होगी।

- राज्य नीति की सूचनाओं का प्रसार–पी.एम.ए नीति में मौजूद सहायता के प्रचार–प्रसार हेतु रोड शो/कार्यशालाओं/सेमिनार/मीडिया अभियान आदि के आयोजन में राज्य सरकार को सहयोग करेगी। यह कार्य सम्बन्धित स्टेक होल्डरों को नीति में की गयी पहल के प्रति प्रेरित करने एवं उपलब्ध उपायों और समर्थन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किया जायेगा। उ0प्र0 में निवेश को बढावा देने के लिए पी.एम.ए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के कार्यक्रमों (events) में भागीदारी सुनिश्चित कर समर्थन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।

- संभावित निवेशकों की पहचान करनाः– पी.एम.ए उ0प्र0 में निवेश करने वाले भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए संभावित क्षमतावान निवेशकों की पहचान करेगी। भारतीय और साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्पूर्ण वस्त्र निर्माण मूल्य श्रंखला जैसे स्पन यार्न, बुनाई, निटिंग, नानवोवेंस, प्रोसेसिग, गारमेन्ट, मेड–अप्स, और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं कार्य करने हेतु तत्पर हैं। इसमें गारमेन्ट सामान के साथ–साथ सहायक सामग्री वाले क्षेत्र भी शामिल किये जायेंगे।

- भावी निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित करनाः– पी.एम.ए. निवेशकों से अलग–अलग मिलकर बाजार में निवेश के अवसर के बारे में जानकारी देगी। जो निवेशक उ0प्र0 में निवेश को इच्छुक होंगे, उनसे बिजनेस मीटिंग एवं निवेशक विजिट में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करेंगे तथा उसका फालो–अप भी करेंगे। भावी निवेशकों द्वारा उठाये गये सवालों के जवाब प्रेषित करने में पी.एम.ए. उ0प्र0 सरकार को सहायता प्रदान करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रदेश में निवेश आये।

- विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव के संग्रहण में सहायता :– पी.एम.ए. नीति के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों के आवेदन मांगने हेतु, उसकी बारीकी से जाँच करने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेरित करने में राज्य सरकार को सहायता करेगी। पी.एम.ए. निवेशकों को प्रस्ताव बनाने एवं उनके कागजात पूर्ण करने में भी सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी।

- तकनीकी औचित्य रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं समीक्षा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (**DPRs**) :– पी.एम.ए. निवेशकों द्वारा जमा की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं तथा तकनीकी औचित्य के आधार पर चयन करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।

- अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन :– पी.एम.ए. अनुमोदित प्रोजेक्टों के नियतकालिक उन्नति प्रतिवेदन एवं इन प्रोजेक्टों के प्रभावों के अनुश्रवण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।

टीम कम्पोजीशन

तीन सदस्यीय कोर टीम गठित की जायेगी, जिसमें से 2 ऑनसाइट स्टाफ कन्सल्टेन्ट पूर्णकालिक आधार पर तथा 1 ऑफसाइट प्रोजेक्ट लीड होगी। प्रक्रियाओं एवं प्रदेय वस्तुओं के समय से निस्तारण हेतु कोर टीम को अन्य टीम मेम्बरों द्वारा सुदूरवर्ती सहयोग प्रदान किया जायेगा।